न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट डीग(राज0)

प्र0सं0 277/2015 (जी.सी.एम.एस.नम्बर: 2015/00060) व इजलास:– डॉ.रवि कुमार गोयल (R.A.S)

उनवान

1. मोहन सिंह
2. भगवान सिंह पुत्रगण मदन
3. छिद्दा पुत्र गिर्राज

जातियान जाट नि0 ग्राम नगला खूंटैला तहसील डीग जिला डीग(राज.)

–प्रार्थीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील डीग जिला डीग (राज0)

–अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136,111 एल.आर.एक्ट,

निर्णय दिनांक: 24.01.2024

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र **अन्तर्गत** धारा 136,111 एल.आर.एक्ट, इस आशय का पेश किया गया है कि आराजी खसरा नम्बर 7734/0.12, 7735/0.12, 7736/0.15, 7738/0.24 वाके ग्राम नगला खूंटैला तहसील डीग में स्थित आराजीयात प्रार्थीगण की कब्जे काश्त व खातेदारी की है। हाल बन्दोवस्त में उक्त नवीन ख0नम्बर को गत ख.नम्बर 5163, 5166, 5167, 5169, 5177 वाके ग्राम बहज के बदले में बनाया गया है। प्रार्थीगण की कब्जे काश्त व खातेदारी के उक्त खसरा नम्बरान के वतरफ दक्षिण कभी भी कोई रास्ता अथवा पगडण्डी कभी भी मौजूद नहीं रही और ना ही वर्तमान में मौके पर कोई रास्ता व पगडण्डी मौजूद है जोकि नक्सा अक्स पूर्व बन्दोवस्ती सं0 1982 से पूर्णतया स्पष्ट है। लेकिन हाल बन्दोवस्त में बन्दोवस्त कर्मचारियों द्वारा गलत तरीके पर खिलाफ मौका व कानून हाल खसरा नम्बरान 7734, 7735, 7736, 7738 के वतरफ दक्षिण,पूरव से पश्चिम लम्बाई में नक्सा हाल में रास्ता दर्ज कर दिया है। जबकि उक्त आराजीयात के वतरफ दक्षिण कभी भी कोई रास्ता मौजूद नहीं रहा है। लेकिन बन्दोवस्त विभाग/कर्मचारियों द्वारा गलत तरीके पर रास्ता हाल नक्सा में दर्ज किया है। जिसे करने का अधिकार मुताविक कानून उन्हें नहीं था। इसलिए प्रार्थीगण बन्दोवस्त विभाग द्वारा की गई उक्त त्रुटि को दुरूस्त कराकर हाल राजस्व रिकार्ड नक्सा अक्स में उक्त खसरा नम्बरान के वतरफ दक्षिण दर्ज रास्ता को कलमजन कराकर नक्सा अक्स हाल में तरमीम करा पाने के अधिकारी है। अतः निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर हाल खसरा नम्बरान 7734, 7735, 7736, 7738 के वतरफ दक्षिण पूरव से पश्चिम लम्बाई में नक्सा हाल में जो रास्ता मौके के विपरीत दर्ज किया जा रहा है,उसे कलमजन कर नक्सा अक्स हाल में मुताविक आदेश तरमीम किये जाने की आज्ञा फरमाई जावे।

प्रार्थना पत्र प्रार्थिया **अन्तर्गत धारा** 136,111 एल.आर.एक्ट, को दर्ज रजिस्टर किया जाकर सम्बन्धित अप्रार्थी/तहसीलदार डीग को जरिये नोटिस तलब कर रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार डीग ने पत्रांक: एलआर/2023/403 दिनांक 09.02.2023 के द्वारा प्रस्तुत जॉच रिपोर्ट में अंकित है कि "खसरा नम्बरान 7734/0.12, 7735/0.12, 7736/0.15, 7738/0.24वाके ग्राम नगला खूंटैला तहसील डीग में सुरेन्द्र सिंह,डिगम्वर,विनोद पिस. छिद्दा एवं भगवान सिंह,मोहनसिंह पिस. मदन जाति जाट निवासी नगला खूंटैला के नाम दर्ज रिकार्ड है। उक्त खसरा नम्बरान की दक्षिणी मेड पर एक रास्ता वर्तमान में चालू हालत में मौजूद है।

उपखण्ड अधिकारी
डीग

मुताबिक राजस्व रिकार्ड के उक्त रास्ते का खसरा नम्बर 7733 है। यह रास्ता ग्राम की आबादी को जोडता है। वर्तमान में मौके पर उक्त रास्ते की चौडाई लगभग कहीं 7 फीट तथा कहीं 8 फीट मौजूद है। मौके पर वर्तमान में रास्ते से ग्राम वासियों का आवागमन सुचारू रूप से चालू है।

वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कहा कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट. स्वीकार किये किये जाने का अनुरोध किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध सम्बन्धित राजस्व रिकार्ड तहसीलदार डीग से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन व वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया गया। नकल साविक नक्सा अक्स सम्वत 1982 व हाल नक्सा किश्तवार के साविक खसरा नम्वरान 5163, 5166, 5167, 5169, व 5177 एवं हाल खसरा नम्बरान 7734, 7735, 7736, 7737, व 7738 का तुलनात्मक मिलान करने पर हाल खसरा नम्बरान के पूर्वी,दक्षिण दिशा में बनाई गई रास्तानुमा आकृति साविक नक्सानुसार उचित नहीं है। सम्बत 1982 के पुराने नक्से में कोई रास्ता वर्णित नहीं है तथा इस सम्बन्ध में प्रार्थीगण के द्वारा अपने प्रार्थना पत्र की पुष्टि में मिलान क्षेत्रफल व अन्य कोई राजस्व रिकार्ड पेश नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में हम प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना अन्तर्गत धारा 136,111 एल.आर.एक्ट,को खारिज किया जाना उचित समझते है।

अतः आदेश है कि:–

प्रार्थीगण मोहन सिंह,भगवान सिंह पुत्रगण मदन एवं छिद्दा पुत्र गिर्राज जाातियान जाट नि0 ग्राम नगला खूंटैला तहसील व जिला डीग (राज0) द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136,111 एल.आर.एक्ट,को खारिज किया जाता है।

निर्णय प्रति तहसीलदार डीग को नियमानुसार कार्यवाही हेतु भिजवाई जावे।

Ravi

(डॉ.रवि कुमार गोयल)
उपखण्ड अधिकारी
डीग
डीग

निर्णय आज दिनांक 24.01.2024 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
डीग

Ravi

(डॉ.रवि कुमार गोयल)
उपखण्ड अधिकारी,
डीग
उपखण्ड अधिकारी
डीग